

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (अंचल)

जमावदी रद्द अभिलेख वाद सं. 175 / 2016-17

वाद का प्रकार - विहार (आरक्षण) मुं. सुधार अधि. 1950 के अंतर्गत वाद के तहत बीच रद्द करवाने से संबंधित।

19/7/16

आरक्षण सरकार के अधिन-2004/रा. दिनांक 12.02.2008 संश्लेषित श्री प्रमोद मुखर्जी निदेशक, आरक्षण विभाग, बिहार सरकार एवं श्री सुधार विभाग का अधिन-3-2004/रा. दिनांक 17.9/85/2005/रा. दिनांक 23.09.88. एवं संश्लेषित संश्लेषित विभागीय अधिन-30-814/रा. दिनांक 09.12.1998 में विहार विभाग के अनुमोदन में गेराजलगा उत्त मुं. की जांच की गई जमावदियों की लंबे काल की गरीबी जांच के क्रम में जांच कर्ताएँ एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि निम्नलिखित विवरणी मुं. -

नामा विष्णु वान सं. 42 भाग सं. 138 प्लॉट सं. 1-500 रकब 1.500 रकब मुं. जो नियंत्रण में है। अनायाद विहार (आरक्षण) सरकार के खाते में सफर मुं. है जिसकी जमावदी सं. नामा के पत्नी-श्री प्रमोदा देवी जमावदी रकब श्री प्रमोदा देवी, प्लॉट रक्षा मंजी, सं. 1-500 के नाम से अंश है।

विष्णु लक्ष्मी देवी प्रसाद
श्री प्रमोदा देवी प्रसाद
19/7/16

इसका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचा गया जमावदी विवरणी की मुं. के विवरण का नाम जमावदी की सदिक प्रतिवेदन किया गया है।

इसका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचा गया जमावदी विवरण से प्रतीत होता है कि उपरोक्त जमावदी विवरण पर विचार के अंतर्गत आरक्षण विभाग के अधिन-3-2004/रा. दिनांक 17.9/85/2005/रा. दिनांक 23.09.88. एवं संश्लेषित संश्लेषित विभागीय अधिन-30-814/रा. दिनांक 09.12.1998 में विहार विभाग के अनुमोदन में गेराजलगा उत्त मुं. की जांच की गई है, जिसका अंश विवरण नामा एवं रकब को अंश करारित करना है।


प्रधान मुं. अधिन-3-2004/रा. दिनांक 17.9/85/2005/रा. दिनांक 23.09.88. एवं संश्लेषित संश्लेषित विभागीय अधिन-30-814/रा. दिनांक 09.12.1998 में विहार विभाग के अनुमोदन में गेराजलगा उत्त मुं. की जांच की गई है, जिसका अंश विवरण नामा एवं रकब को अंश करारित करना है।

अतएव संबंधित जमावदी रकब जो निलंबित विवरण के अधिन-3-2004/रा. दिनांक 17.9/85/2005/रा. दिनांक 23.09.88. एवं संश्लेषित संश्लेषित विभागीय अधिन-30-814/रा. दिनांक 09.12.1998 में विहार विभाग के अनुमोदन में गेराजलगा उत्त मुं. की जांच की गई है, जिसका अंश विवरण नामा एवं रकब को अंश करारित करना है।

अभिलेख दिनांक का अंश करारित किया गया।

संज्ञांकित एवं सशोध्य

अंचल अधिकारी,
बलियापुर



अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

118/16

अभिलेख उपलब्धता विषय गणना है /
 लाला लक्ष्मी प्रसाद के वंशज श्री, लाला लक्ष्मी प्रसाद
 के उपलब्धता एका उपरोक्त शक्ति हस्ताक्षर
 एक दस्तावेज लक्ष्मी प्रसाद के श. नं 6 (111)
 70-71 सम्पत्ति विषय गणना है लाला लक्ष्मी प्रसाद
 वही है उनके द्वारा एक ही लाला लक्ष्मी प्रसाद
 सम्पत्ति वही विषय गणना है।

अतः अग्रोक्त कार्रवाई एवं

अभिलेख शक्ति द्वारा उपलब्धता एका लाला लक्ष्मी प्रसाद
को गणना है।


 अंगण अक्षय शर्मा
 लाला लक्ष्मी प्रसाद

सदर जमिंदार सखा

177

2016 (अनुसूची संशोधन) अधिनियम, 1952

मुद्रा

नाम

पुस्तक माँजी, पिठ रत्ना माँजी
रत्ना जौहरा

जौहरा भागा नं० 42

सदर द्वारा आपकी भूमिगत किया जाता है कि नीचे दी गयी जानकारी सही है।
खेती का क्षेत्रफल - 138 बीघे, खेती का प्रकार - 1150 एकड़।
सदर द्वारा आपकी भूमिगत किया जाता है कि नीचे दी गयी जानकारी सही है।
सदर द्वारा आपकी भूमिगत किया जाता है कि नीचे दी गयी जानकारी सही है।

11/8/16 को सदा - 1150 एकड़ जमीन में उक्त
भूमि का रिकॉर्ड - नूनि बदबन्दी से संबंधित दस्तावेज, नूनि बदबन्दी का निकाज जमावा
रत्ना माँजी का एक सहायक से जमावा के तहत ही सदा द्वारा किया गया है।
सदर द्वारा आपकी भूमिगत किया जाता है कि नीचे दी गयी जानकारी सही है।
सदर द्वारा आपकी भूमिगत किया जाता है कि नीचे दी गयी जानकारी सही है।

सदर स्टे कि जमावा के स्थिति में सदा द्वारा किया गया है कि नीचे दी गयी जानकारी सही है।
सदर द्वारा आपकी भूमिगत किया जाता है कि नीचे दी गयी जानकारी सही है।
सदर द्वारा आपकी भूमिगत किया जाता है कि नीचे दी गयी जानकारी सही है।

11/8/16

11/8/16

दिनांक - मुद्रा

सुकरा राम सोहन
कौशिक ललिता जी.
वीरधर सुकरा